रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245575
CG-DL-E-02052023-245575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]	**नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945**
No. 277]	**NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945**

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(18).—जबकि मेसर्स सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू. का लोकल पत्राचार कार्यालय लेवल-1 सदर्न पार्क बिल्डिंग, डी-2, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली 110017 में स्थित, ने पारेषण योजना "सोलरपैक कॉर्पोरेशन टेकनोलोजिका, एस.ए.यू के 300 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट गॉव बडी सिड्ड, रणजीत नगर, जंभेश्वर नगर-।।, तहसील बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान'' के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division dated 25.10.2022 के द्वारा पारेषण योजना "सोलरपैक कॉर्पोरेशन टेकनोलोजिका, एस.ए.यू के 300 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट गॉव बडी सिड्ड, रणजीत नगर, जंभेश्वर नगर-।।, तहसील बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान''के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू. को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू.ने 03.12.2022 (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, दैनिक भास्कर एंड दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 17.12.2022 से 23.12.2022 में

पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स मेसर्स सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू.ने 17.02.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर केवल एक (1) अवलोकन प्राप्त किया गया था, जिसे विधिवत स्पष्ट कर दिया गया था और इस संबंध में कोई आपत्ति, अवलोकन/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "सोलरपैक कॉर्पोरेशन टेकनोलोजिका, एस.ए.यू के 300 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट गॉव बडी सिड्डु, रणजीत नगर, जंभेश्वर नगर-।।, तहसील बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान"के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू. सौर ऊर्जा संयंत्र - भादला-II PS 220 KV S/c लाइन

इस योजना के अंतर्गत आवरित पारेषण लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँवो का नाम	**तहसील**	**जिला**
बड़ी सिड्डु, रणजीत नगर, जंभेश्वर नगर-।।, कान सिंह की सिड्डु	बाप	जोधपुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू.को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

(vii) मेसर्स सोलरपैक कॉर्पोरशन टेकनोलोजिका, एस़.ए.यू.को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./59/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 6th April, 2023

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(18).—whereas M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U., the applicant with its local correspondence office at Level 1, Southern Park Building, D2 District Center Saket, New Delhi- 110017 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line under the transmission scheme “Connectivity system for Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. 300 MW Solar Power Plant at Village BadiSidd, Tehsil Bap, District Jodhpur, State Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division dated 25.10.2022had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity system for Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. 300 MW Solar Power Plant at Village BadiSidd, Tehsil Bap, District Jodhpur, State Rajasthan”.

M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 03.12.2022 (Time of India, Dainik Navajyoti, Dainik Bhaskar) and in Weekly Gazette of India dated 17.12.2022 to 23.12.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. has submitted an affidavit dated 17.02.2023 declaring that only one observation was received within 60 days from the date of publication in official gazette of Government of India, which was duly clarified and closed and no further objection, observation / representation in this regard was received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system for Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. 300 MW Solar Power Plant atVillage BadiSidd, Tehsil Bap, District Jodhpur, State Rajasthan”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. Solar Power Plant – Bhadla-II PS 220 KV S/c Line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Name of villages	**Tehsil**	**District**
Badi Sidd, Ranjeet Nagar, Jambheshwar Nagar-II and Kaan Singh ki Sidd	Bap	Jodhpur

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

(i) The approval is granted for 25 years.

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

(vii) M/s Solarpack Corporacion Tecnologica, S.A.U. would have to comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB (Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./59/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA